ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Estate Section

F.No Estate/7-15/2016

. . .

CIRCULAR

Dated 13,01.2020

In continuation to the earlier circular dated 01.08.2019, this is to inform all Faculties, Nurses, Officers and Officials/Staff of AIIMS who are eligible for accommodation at AIIMS Campus that date for filing the Online Application for House Allotment has been extended till 31.01.2020.

This issues with the approval of Director, AIIMS.

Encl: - Circular dated 01.08.2019

My Chadney
(Nikhil Bhatnagar)

Administrative Officer (Estate)

3241/4025

To,

- 1. All Chiefs of Centres/Head of Departments,
- 2. Dean (Acad/Research/Exam)
- 3. MS Hospital/Dr R.P Centre
- 4. PPS to Director/DDA/Sr FA/DS/CAO
- 5. Professor Incharge, Computer Facility with the request to upload the same at website,
- 6. Faculty Association,
- 7. Officers Association,
- 8. Nurses Association,
- 9. Karmchari Union.

.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संपदा—अनुभाग

फा0 सं0 संपदा/डी। I-28/2019

दिनांक : ? 1 JAN 2020

परिपत्र

पहले के परिपन्न दिनांक 01/08/2019 को जारी रखते हुए, एम्स के सभी संकायों, परिचर्याओं, अधिकारियों और अधिकारियों/कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है कि जो एम्स आवासीय परिसर में समायोजन के लिए पान्न हैं, उनके लिए आवास आबंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 31/01/2020 तक बढा दी गई है।

यह निदेशक, अ.भा.आ.सं. की स्वीकृति के साथ जारी किया गया है।

सलंग्न:- परिपत्र दिनांक 01/08/2019

(निखिल भटनागर) प्रशासनिक अधिकारी (संपदा) 'उ३५। | ५०३८

सेवा में,

- 1. सभी मुख्य केन्द्र / विभागाध्यक्ष,
- 2. डीन (शैक्षिक/अनुसंघान/परीक्षा)
- 3. चिकित्सा अधीक्षक अस्पताल/डा० आर.पी. सेंटर
- निदेशक के निजी सचिव/उप—निदेशक प्रशा./व.वि.सलाहकार/उप—सचिव मु.प्र.अ.
- आचार्य प्रभारी, कंप्यूटर सुविधा संपदा शीर्ष में उपयुक्त स्थान पर अपलोड हेत्
- 6. संकाय एसोशिएशन
- 7. अधिकारी एसोशिएशन
- परिचर्या एसोशिएशन
- 9. कर्मचारी यूनियन

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संपदा अनुभाग

(49)

फा.सं: संपदा/7-15/2016

^{दिनांक:} 0 1 AUG 2019

परिपन्न

सभी संकाय-सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों, नर्सिंग अधिकारियों, एम्स के स्टाफें सदस्यों, जो एम्स परिसर के आवासों के आबंटन के पात्र हैं, को सूचित किया जाता है, कि एक ऑनलाइन आवास आबंटन प्रणाली विकसित की गयी है और यह प्रयोग हेत् तैयार है।

- 2. इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं:
 - 1. व्यक्तियों के न्यूनतम हस्तक्षेप सहित आबंटन की स्वचालित प्रक्रिया
 - 2. खाली आवासों की स्वचालित प्रक्रिया
 - 3. आवासों के आबंटन हेतु आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया
- 3. इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:
- (i) आवास आबंटन के इच्छुक व्यक्तियों को अपना पंजीकरण कराना होगा और अपने वेतन कोड (यह एम्स कर्मचारियों के लिए एक यूनिक कोड है) का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण के बाद, आपको एक ऑनलाइन प्रपत्र भरना होगा (आपके नाम, ग्रेड वेतन/लेवल जैसी कुछ जानकारी इसमें स्वत: आ जाएगी।)
- (ii) भरे-हुए प्रपत्र को कर्मचारी की सेवा के विवरण के सत्यापन हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारी (प्र.अ.) को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। एक बार संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विवरण का सत्यापन करने के बाद, कर्मचारी का नाम आवास के पात्र और चयनित श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में शामिल हो जाएगा। कर्मचारी वर्ष के दौरान किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं, प्रतीक्षा सूचिय़ां प्रत्येक वर्ष में 2 बार अर्थात् 01 जनवरी और 01 जुलाई को अद्यतन की जाएंगी।
- (iii) आबंटन प्रणाली का पतो चार्ट काफी हद तक मैनुअल प्रणाली जैसा ही होगा, लेकिन यह पूरी तरह स्वचालित होगा तथा इसमें कौई कागज़ी पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। विवरण निम्नानुसार है:
- (क) एक बार आंबंटिती द्वारा आवास खाली किए जाने के बाद संबंधित कनिष्ठ अभियंता आवास खाली होने का ऑनलाइन सत्यापन करेगा ।
- (ख) खाली किया गया आवास संपदा अनुभाग के डैशबोर्ड पर दिखेगा, जो प्रतीक्षा सूची में अगले व्यक्ति को आवास प्रस्तावित करेगा ।
- (ग) अध्यक्ष (एचएएसी) आबंटन को अनुमोदित करेंगें।
- (घ) एक बार अनुमोदित हो जाने के बाद आवास के आबंटन का प्रस्ताव एस.एम.एस. तथा ई-मेल अलर्ट सहित संबंधित व्यक्ति के डैशबोर्ड पर स्वत: चला जाएगा।

II

- . (ड) संबंधित कर्मचारी के पास विकल्प होगा, कि वह निर्दिष्ट समय में आवास के प्रस्ताव को या तो स्वीकार करे/तकनीकी रूप से स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। यदि संबंधित कर्मचारी इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तो उसे 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। इस वर्जित अवधि के समाप्त होते ही, कर्मचारी स्वतः ही प्रतीक्षा सूची में शामिल हो जाएगा।
 - (च) यदि कर्मचारी आवास के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो एक एस.एम.एस. अलर्ट के साथ पत्र को ई-मेल द्वारा स्वतः भेज दिया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित कनिष्ठ अभियंता आवास को रहने योग्य बनाने हेतु अनुमानित समय की प्रविष्टि करेगा और यह समय सीमा आवंटितियों सहित सभी संबंधित कर्मचारियों के डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी।
- (छ) एक बार आवास का भौतिक कब्जा हो जाने के बाद, संबंधित कनिष्ठ अभियंता कब्जे की तिथि प्रविष्ट करेगा तथा मकान किराया भत्ता एवं लाइसेंस शुल्क की कटौती हेतु लेखा अनुभाग से इस सूचना को साझा करेगा।
- 4. प्रणाली के प्रथम चरण में प्रत्येक आवास के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रतीक्षा सूची तैयार करने की इस प्रक्रिया की समय सीमा 01 september, 2019 है। अतः सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया आवास आबंटन हेतु दिनांक 26.08.2019 तक अथवा इससे पूर्व https://www.aiims.edu/en.html पर संकाय/कर्मचारी टैब में जाकर ऑनलाइन आवेदन भर लें।
- 5. किसी भी असुविधा की स्थिति में, सहायता के लिए संपदा अनुभाग और संबंधित कर्मचारी एसोसिएशन जैसे फेम्स/अधिकारी यूनियन/नर्सिस यूनियन/कर्मचारी यूनियन से संपर्क किया जा सकता है। किसी समस्या हेतु कंप्यूटर सुविधा से भी संपर्क किया जा सकता है।
- इसे निदेशक, एम्स के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(निखिल भटनागर) प्रशासनिक अधिकारी(संपदा) 3241/4025



ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES Estate Section

F.No Estate/7-15/2016

Dated 0 1 AUG 2010

CIRCULAR

This is to inform all Faculty members, Officers and Officials, Nursing officers, Staff members of AIIMS who are eligible for allotment of residences on all AIIMS Campuses that an Online House Allotment System has been developed and is ready for use.

2. The key features of this system are:

- 1. Automated process of allotment with minimal intervention from individuals
- 2. Automated process of vacating residences
- 3. Online process of application for allotment of residences

The process to be followed for this is:

- (i) Those desirous of being considered for house allotment have to register and apply online using their salary code (it is a unique code at AIIMS). After registration, you need to fill a form online (some data will be automatically filled in such as name, Grade Pay/Level).
- (ii). The filled form would be forwarded online to the concerned administrative officer (AO) to verify the service details of the employee. Once the concerned AO verifies the details, the employee's name would be included in the waiting list of the eligible and chosen categories of residences. While employees can apply at any time during the year, the waiting lists will be updated twice a year on 1st of January and 1st of July of every year.
- (iii). The flow chart of the house allotment system will be largely similar to the manual system but will be completely automated with no physical letters being distributed. The details are:
- (a) Once a residence is vacated by the allottee, the concerned Junior Engineer (JE) will verify the vacation online.
- (b) The vacated residence will appear on the dashboard of the Estate section which will propose the residence to the next person in the waiting list.
- (c) Chairman (HAAC) will the approve the allotment.
- (d) Once approved, the offer of allotment of the residence will go to the concerned person's dashboard automatically along with an SMS and an email alert.

(6)

- (e) The concerned employee will have the option, in the specified time, to either accept/technically accept or decline the offered residence. If the offer is declined the concerned employee will be removed from the waiting list for a period of 2 years. Once the debarment period is over, the employee will automatically be included in the waiting list.
- (f). If the employee accepts the offered residence, the letter would be sent automatically by email along with an SMS alert. The concerned JE will then enter the approximate time for making the residence fit for occupation and this timeline would be available on the dashboard of all concerned including the allottee.
- (g). Once the residence is physically occupied, the concerned JE will enter the date of occupation and share the information with Accounts Section for deduction of HRA and license fee.
- 4. The first Phase of the System includes preparation of the waiting list for each residence. The timeline for this process is to prepare the waiting list through the online system by 1 September 2019. It is therefore requested that all employees may please fill the online application for house allotment by visiting https://www.aiims.edu/en.html in the Faculty/Employee Tab on or before 26.08.2019.
- 5. In case of any difficulty, the Estate Section and the respective employee associations such as FAIIMS/Officers Union/Nurses Union/Karamchari Union may be contacted for help. The computer facility may also be contacted for any difficulty.

6. This issues with the approval of Director, AIIMS

(Nikhil Bhatnagar)

Administrative Officer (Estate)

3241/4025